

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 4369

दिनांक 14.12.22

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	डा. अशोक कुमार जाट पुत्र श्री मोहन लाल जाट	श्री सौरभ शर्मा पुत्र श्री हरिमोहन शर्मा मु. आम. हरिमोहन शर्मा	एच-51	420.00	निजी खातेदारी	सनसिटी फेज-प्रथम एण्ड फेज-द्वितीय	फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत मुख्यारआम-नामा

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत मुख्यारआम के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी - 3505

दिनांक 14/12/22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री रवि कुमार मीणा पुत्र श्री हनुमान सहाय	श्री विकास कायत पुत्र श्री स्व. श्री रामप्रसाद	S-66	72 वर्गगज	जविप्रा	ग्राम खटवाडा	नाम हस्तांतरण पत्र व फ्री-होल्ड लीजडीड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, एफ.आई.आर. की प्रति
2	श्री भगवान सहाय शर्मा एवं श्री कमल किशोर शर्मा पुत्रान श्री कजोड़ मल शर्मा	श्री राधेश्याम मीणा पुत्र श्री बुधराम मीणा	1341	150 वर्गगज	जविप्रा	ग्राम टीलावास	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र
3	रति बोहरा पुत्री श्री सतीश बोहरा	रति बोहरा पुत्री श्री सतीश बोहरा	E-16A	1182.68 वर्गगज	सहकारी समिति	अशोक विहार सी, मुहाना, सांगानेर, जयपुर	लीजडीड हेतु	इंदिरा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी दस्तावेज
4	श्री आलोक कपूर पुत्र श्री श्याम मुरारी कपूर	श्री आलोक कपूर पुत्र श्री श्याम मुरारी कपूर	जी-147	167.26 वर्गमीटर	निजी खातेदारी की योजना	जयपुर ग्रीन्स	मूल पट्टा गुम होने के कारण लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु	मूल पट्टा गुम होने की गुमशुदगी रसीद थाना मुहाना एवं शपथ पत्र के आधार पर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

5	श्री सीताराम गुप्ता पुत्र श्री राधाकिशन गुप्ता 42ए, मधुबन कॉलोनी वेस्ट, टोंक रोड़, जयपुर	श्री पीयूष अग्रवाल पुत्र श्री राम बाबू अग्रवाल	B-204	200 वर्गगज	निजी खातेदारी की योजना	शिव विहार ब्लॉक-बी	फ्री होल्ड लीजडीड हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंजीकृत वसीयतनामा, पंजीकृत मुख्तयारआम एवं विक्रय पत्र के आधार पर
---	---	--	-------	---------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	---

उपायुक्त जयपुर-11
जयपुर उपायुक्त जौनिकरण
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जयपुर-11
जयपुर उपायुक्त जौनिकरण
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-4368

दिनांक 12-11-22

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कं. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.मी.)	गृ.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री ताराचन्द अग्रवाल पुत्र श्री शंकर लाल अग्रवाल	श्रीमती दर्शना अग्रवाल पत्नी श्री तारा चन्द अग्रवाल	जी-257	210.00	निजी खातेदारी	सनसिटी फेज-प्रथम विस्तार-प्रथम	फ्री-होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण, हकत्याग पत्र

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण के आधार पर नाम हस्तान्तरण करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

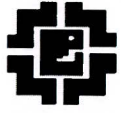
उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा.7/2022/डी-2448

दिनांक: 15.12.22

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

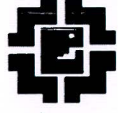
क्र स	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज)	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा,जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	सुनीता आंवला , हिमानी व नक्षसिंह	रुकमणी देवी	90	100.00	मीनावाला	पवनपुत्र- एच	लीजडीड	आंवटन पत्र, साईट प्लान, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड , विक्रय पत्र, शपथ- पत्र

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस अथवा कैम्प दिनांक से पूर्व की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक ज.वि.प्रा./जोन-7/ 2022/डी-
दिनांक:-



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा आवासीय लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

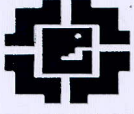
क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती केसर	श्री जीवन राय मिश्रा	एफ-1/210	54.00 वर्ग मीटर	जयपुर विकास प्राधिकरण	चित्रकूट सेक्टर-1	फ्री होल्ड, पट्टा	जविप्रा द्वारा मूल आवंटी को जारी आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, रसीद, अपंजीकृत इकरारनामा आदि

उक्त दस्तावेजात् के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा आवेदक के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जाँच पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।

उपाध्यक्ष, जेन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2022/डी- 2669
दिनांक :- 15/12/2022



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती आभा शर्मा पत्नि श्री विनय कुमार शर्मा	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामप्रताप शर्मा	102	112.50 व.मी.	जविप्रा	मूर्तिकला नगर	फ्री होल्ड पट्टे हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर

उपरोक्त का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

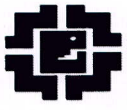
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी- 4383

दिनांक 15-12-2022

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दूरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटें.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2022/डी-2759

दिनांक 15/12/22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया है:-

क्र. स.	भूखण्ड/खसरा संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	प्रस्तुत दस्तावेज
1	6-ए	श्री विजयराज गुप्ता पुत्र श्री प्रियव्रत गुप्ता	नेशनल गृह निर्माण सहकारी समिति	दादू नगर, जगतपुरा	पंजीकृत उपहार-पत्र

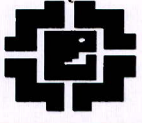
उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी भी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नही करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त (जोन-10)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि: 1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त (जोन-10)
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी- 4373

दिनांक : 14-12-2022

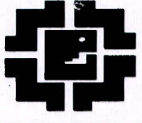
संशोधित आम सूचना

जविप्रा आम सूचना क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2022/डी-4387 दिनांक 12.12.2022 में सहवन से ग्राम का गलत अंकन होने से पुनः सिरसली गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना श्री श्याम विहार विस्तार ग्राम भोज्यावास, भांकरोटा तहसील सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर आयोजित कराने हेतु उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	प्लॉट नं०	क्षेत्रफल
1.	बृजमोहन शर्मा	दामोदर शर्मा	1	87.40
2.	उम्मेद कंवर	छतु सिंह	2	60.55
3.	पारवती देवी	ओमप्रकाश कुमावत	2A	60.66
4.		NO DETAIL	3	
5.		NO DETAIL	4	
6.	गीता व गिरिराज	सुरेश गुप्ता व गणेश	5	70.27
7.		NO DETAIL	6	
8.	बबली कंवर	जयसिंह भाटी	7	67.83
9.	दीपक कुमार बागडी	चुन्नी लाल बागडी	8	68.44
10.		NO DETAIL	9	
11.	मदन लाल	छोगालाल	10	69.36
12.	मदन लाल	छोगालाल	11	71.50
13.	तारा देवी	सीताराम सैन	12	73.63
14.		NO DETAIL	13	
15.		NO DETAIL	14	
16.	लक्ष्मण सिंह	अमर सिंह	15	93.16
17.	मंजू देवी	नन्द किशोर	16	73.00
18.	कमलेश कुमार	मलीराम फरेरा	17	76.66
19.	विष्णुलता	राधेश्याम धाकड	18	125.00
20.	रमेश सिंह	गोपी सिंह राजावत	19	150.00
21.	संतरा देवी	प्रभुदयाल	20	122.00
22.	सुनीता कुमारी	नरेन्द्र मगवानी	21	122.22
23.		NO DETAIL	22	
24.		NO DETAIL	23	
25.		NO DETAIL	24	
26.		NO DETAIL	25	
27.	किताबो देवी	रामेश्वर त्यागी	26	88.88
28.	हरिराम सैनी	गणेश राम सैनी	27	88.88
29.	राजुलाल	भूराराम	28	100.00
30.	रेखा कुमारी	लोचन दास त्यागी	29	100.00
31.		NO DETAIL	30	
32.	पवन कुमार कुमावत	गोरधन लाल कुमावत	31	100.00
33.	कमलेश धाकड	जीतमल धाकड	32	88.88
34.		NO DETAIL	33	
35.	प्रीतम सिंह	अर्जुन सिंह	34	88.88
36.		NO DETAIL	35	
37.		NO DETAIL	36	
38.	ममता सैनी	निशान्त सैनी	37	102.00
39.	रणजीत	गोपी	38	113.33
40.	संतोष कंवर	विक्रम सिंह	39	113.33
41.	कमलेश शर्मा	अशोक चन्द शर्मा	40	144.44
42.		NO DETAIL	41	
43.		NO DETAIL	42	
44.	घनश्याम कुमावत	चौधमल कुमावत	43	144.44
45.	रतनी देवी	कमल किशोर शर्मा	44	113.33
46.	कुमुद शर्मा	संगीत शर्मा	45	113.33
47.		NO DETAIL	46	
48.		NO DETAIL	47	
49.		NO DETAIL	48	
50.		NO DETAIL	49	
51.		NO DETAIL	50	

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

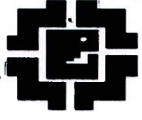
52.		NO DETAIL	52	
53.		NO DETAIL	52	
54.		NO DETAIL	53	
55.	लीला देवी	कैलाश चन्द	54	108.00
56.		NO DETAIL	55	
57.		NO DETAIL	56	
58.		NO DETAIL	57	
59.		NO DETAIL	58	
60.		NO DETAIL	59	
61.		NO DETAIL	60	
62.	जितेन्द्र सिंह चौहान	गोपाल सिंह	60A	102.66
63.		NO DETAIL	61	
64.		NO DETAIL	62	
65.		NO DETAIL	63	
66.		NO DETAIL	64	
67.	गीता वर्मा	कमल कुमार	65	166.66
68.	गीता वर्मा	कमल कुमार	66	166.66
69.	गीता वर्मा	कमल कुमार	67	166.66
70.	संगीता कंवर	योगेन्द्र सिंह	68	138.88
71.		NO DETAIL	69	
72.	भूपेन्द्र पारीक	राधेश्याम पारीक	70	166.66
73.		NO DETAIL	71	
74.		NO DETAIL	72	
75.		NO DETAIL	73	
76.		NO DETAIL	74	
77.	सुश्री विनीता चतुर्वेदी	स्वर्गीय दिनेश कुमार शर्मा	75	111.11
78.	घनश्याम शर्मा	मदन लाल शर्मा	76	161.11

अतः योजना के संबंध में किसी खातेदार/हितधारक/ भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशन पश्चात् 7 दिवस में कार्यालय जोन-12 जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

59-
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि :-1. अति. आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को विज्ञापित प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-4374

दिनांक : 14-12-2022

आम सूचना

जविप्रा आम सूचना क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2022/डी-4386 दिनांक 12.12.2022 में सहवन से ग्राम का गलत अंकन होने से पुनः मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना श्री श्याम विहार विस्तार तृतीय ग्राम श्रीरामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तहसील सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर आयोजित कराने हेतु उक्त योजना में स्थित भूखण्डधारियों की सूची निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	प्लॉट नं०	क्षेत्रफल
1.	पांजी देवी	मांगीलाल	1	100.00
2.	देवेन्द्र कुमार शर्मा	बृजमोहन शर्मा	2	100.00
3.	सीता देवी राव	सीताराम राव	3	100.00
4.		NO DETAIL	4	
5.		NO DETAIL	5	
6.		NO DETAIL	6	
7.		NO DETAIL	7	
8.		NO DETAIL	8	
9.		NO DETAIL	9	
10.	बाबु लाल जांगिड	प्रभु दयाल जांगिड	10	80.00
11.	संजू कुमारी	शंकर लाल जांगिड	11	80.00
12.	संपति देवी	प्रहलाद कुमावत	12	80.00
13.	सुनीता	बलवीर सिंह	13	76.00
14.	नरवीर सिंह	वृन्दावन सिंह	14	116.00
15.		NO DETAIL	15	
16.		NO DETAIL	16	
17.	रीता त्रिपाठी	राजीव कुमार त्रिपाठी	17	73.33
18.		NO DETAIL	18	
19.		NO DETAIL	19	
20.		NO DETAIL	20	
21.	योगिता देवी	देवेन्द्र शर्मा	21	58.66
22.		NO DETAIL	22	
23.		NO DETAIL	23	
24.	ममता देवी	अन्नू कुमावत	24	75.55
25.		NO DETAIL	25	
26.		NO DETAIL	26	
27.	मनमरी	रामजीवन	27	104.14
28.		NO DETAIL	28	
29.	नीलमलता तोमर	कुलदीप देवडा	29	108.09
30.		NO DETAIL	30	
31.	ममता सैनी	निशान्त सैनी	31	163.03

अतः योजना के संबंध में किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् 7 दिवस में कार्यालय जोन-12 जयपुर में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

59-
प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

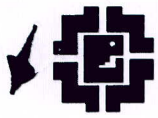
प्रतिलिपि :-1. अति. आयुक्त (पूर्व) जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

2. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को विज्ञप्ति प्रकाशन की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-

१६७०

दिनांक:

15/11/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित श्री भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर की योजना विनायक विहार का नियमन शिविर लगाया जाना प्रस्तावित है। योजना के भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:-

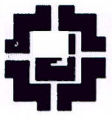
क्र.स.	नाम	प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल
1	राकेश तलवार	1	226.00
2	सन्तोष देवी पत्नी मोहन लाल नेहरा	2	316.66
3	ओम कंवर पत्नी भवानी सिंह	3	314.44
4	महक कुमार	4	312.22
5	अनिल बागड़ा पुत्र श्री रघुनाथ बागड़ा	5	311.11
6	अर्जुन सिंह शेखावत पुत्र श्री चेलाराम	6	311.11
7	भूपेन्द्र सिंह पुत्र प्रभु सिंह	7	311.11
8	मेवा सिंह पुत्र पूरणराम	8	388.88
9	कृष्ण रानी पत्नी सी.आर. शेखावत	9	388.88
10	महेश कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह	10	311.11
11	वृन्दा शेखावत पुत्री सी.आर. शेखावत	11	311.11
12	सन्तोष शर्मा पत्नी मुन्ना लाल	12	311.11
13	शायर कंवर पत्नी जतन सिंह	13	311.11
14	सावित्री गोड पत्नी सुरेश	14	311.11
15	उज्जवल लिला पुत्र एस.एस. लिला	15	361.00
16	गुलाब सिंह पुत्र हेम सिंह	16	311.11
17	गुलाब सिंह पुत्र हेम सिंह	17	388.88
18	ज्योति कुमारी पत्नी गुलाब	18	388.88
19	अनिरुद्ध तंवर पुत्र गुलाब	19	311.11
20	टीना चौहान पत्नी भरत सिंह	20	302
21	उर्मिला जोशी पत्नी विनोद	21	413
22	शैलेन्द्र सारस्वत पुत्र उदरवीर	22	281.90
23	विमला खंगारोत पत्नी राजेन्द्र सिंह	23	348.61
24	लक्ष्मण सिंह पुत्र देवी सिंह	24	383.88
25	हिम्मत शेखावत पत्नी लक्ष्मण	25	290.00
26	राजेन्द्र सिंह पुत्र भगवत सिंह	26	291.11
27	अंजीला राजावत पत्नी राजेन्द्र सिंह	27	294.44
28	राजेन्द्र सिंह पुत्र शम्भू सिंह	28	379.00
29	मेहनी देवी पत्नी रतनाराम चौधरी	29	217.00
30	सुषमा पत्नी आशाराम	30	311.11
31	गुलशन पुत्र हरजस बी	31	311.11
32	पुष्पेन्द्र कुमारी पत्नी गुमान सिंह	32	311.11
33	मिनाक्षी पत्नी कर्नल सुधाकर	33	311.11
34	दिलीप सिंह पुत्र जय सिंह	34	311.11
35	विनोद कंवर पत्नी दिलीप सिंह	35	388.88
36	मिथलेश कुमारी पत्नी ए.एस. राठौड़	36	388.88
37	वरुणिका शर्मा पुत्र सर्वेश्वर शर्मा	37	311.11
38	गिरिष शर्मा पुत्र सर्वेश्वर शर्मा	38	311.11
39	गिरिष शर्मा पुत्र सर्वेश्वर शर्मा	39	311.11
40	गोविन्द नारायण पारीक	40	311.11
41	रोशनी मील पत्नी रणवीर सिंह	41	311.11
42	बीरा कंवर पत्नी के.पी. सिंह	42	252.00
43	बलदेव राज पुत्र नानक चन्द	43	361.00
44	महिपाल सिंह पुत्र नारायण सिंह	44	311.11
45	रेखा सिंह पत्नी विजय सिंह	45	311.11
46	विजय सिंह पुत्र भंवर सिंह	46	311.11

उपायुक्त जोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

47	स्वाति कटेवा पत्नी सुरेन्द्र	47	311.11
48	जयपाल सिंह पुत्र यशपाल	48	311.11
49	सुशीला कंवर पत्नी जयपाल सिंह	49	388.88
50	अमित बधावा पुत्र राजकुमार	50	388.88
51	अमित बधावा पुत्र राजकुमार	51	311.11
52	गोरव शर्मा पुत्र गोपाल लाल	52	311.11
53	जसवीर सिंह पुत्र स. दर्शन सिंह	53	311.11
54	मोहन सिंह जादौन पुत्र शंकर सिंह	54	311.11
55	तेजवत सिंह राजावत पुत्र नारायण सिंह	55	311.11
56	मनीषा सर्राफ पत्नी सुमित सर्राफ	56	361.00
57	पायल अग्रवाल पत्नी धर्मेन्द्र	57	233.33
58	संजय असीन पुत्र बी.बी. असीन	58	233.33
59	विजय सिंह नाथावत पुत्र भंवर सिंह	59	233.33
60	पूनम राठौड़ पत्नी योगेन्द्र सिंह	60	233.33
61	पूनम राठौड़ पत्नी योगेन्द्र सिंह	61	267.00

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में अथवा नियमन शिविर दिनांक से पूर्व प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचीत करवाने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-

2673

दिनांक:

15/12/2022

आम सूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित माधव नगर गृ.नि.स.स. की योजना-विद्युत नगर-डी का नियमन शिविर लगाया जाना प्रस्तावित है। योजना के भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्डधारी का नाम	पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या
1.	सलीम	श्री गुलाम मोहम्मद	01-डी
2.	विनोद कुमार जांगिड	श्री राम नारायण	02-डी
3.	श्रीमती प्रेम देवी	श्री चौथमल	03-डी
4.	बछराज सिंह	श्री दुर्गासिंह	04-डी
5.	विमला देवी	श्री सुरेन्द्र कुमार	04-डी -ए
6.	जगवीर सिंह	श्री ईश्वर सिंह	05-डी-02
7.	श्रीमती विमला देवी	श्री सुरेन्द्र कुमार	05-डी-01
8.	श्रीमती कमला थापा	श्री राजकुमार थापा	06-डी
9.	श्रीमती मीरा देवी	श्री किशन लाल कुमावत	07-डी
10.	श्री दीन दयाल सोलंकी	श्री सैतान सिंह	08-डी
11.	श्री कालू	श्री नसीबा	09-डी
12.	श्रीमती भंवर कंवर	श्री जगदीश सिंह	10-डी
13.	श्रीमती कृष्णा देवी	श्री श्यामदेव	11-डी
14.	श्री सत्तार खां		11-डी-ए
15.	श्री दिनेश		13-डी
16.	श्री सुभाष		14-डी
17.	श्रीमती सुप्यार कंवर	श्री जोधा सिंह शेखावत	12-डी

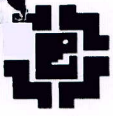
अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में अथवा नियमन शिविर दिनांक से पूर्व प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचीत करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन -7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी-

2674

दिनांक:- 15/12/2022

आमसूचना

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2022 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्र में गुलाब बाडी गृ.नि.स.स. की योजना कृष्णापुरी (राकडी) के भूखण्डधारियों द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत आवंटन पत्र एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है।

क्र. सं	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	प्लॉट नं	क्षेत्रफल
1	लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मूलचन्द		डी-1	166.67
2	संतोष नागर पत्नि श्री सुरेश कुमार नैनीलाल		डी-2 ए	118.10
3	भूपेन्द्र नाथ योगी पुत्र श्री नैतराम		डी-2	238.07
4	जगदीश प्रसाद पुत्र श्री चौथमल		डी-3	206.00
5	नत्थूराम पुत्र श्री रूडाराम		डी-4	133.30
6	देवेन्द्र कुमार सौलकी पुत्र श्री शिवराज सिंह		डी-4	140.00
7	मीना राजावत पत्नि श्री अशोक सिंह राजावत		डी-5	130.00
8	श्रीकांत यादव पुत्र श्री विक्रम यादव		डी-5 ए	130.00
9	प्रेम देवी पत्नि सूरजमल प्रजावत		डी-6	200.00
10	गणेशी लाल पुत्र श्री प्रेमसिंह		डी-7	200.00
11	मेहनलाल शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा		डी-8	233.00
12	सीताराम गुर्जर पुत्र श्री रामधन गुर्जर		डी-9	238.00
13	मेहनला कुमावत पुत्र श्री बालूराम		डी-10	200.00
14	कमला देवी पत्नि श्री पन्नालाल चौधरी		डी-11	200.00
15	सरोजनी देवी पत्नि श्री ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी		डी-12	283.30
16	प्रेमलता खण्डूजा पत्नि ईश्वर लाल खण्डूजा		डी-13-ए	146.00
17	सुशीला देवी पत्नि श्री रामसिंह		डी-13-बी	98.89
18	बजरंग सिंह पुत्र श्री माधोसिंह		डी-13-सी	98.89
19	राधेश्याम पुत्र श्री नाथूराम उर्फ महादेव		डी-14	120.00
20	दामोदर प्रसाद पुत्र श्री महादेव		डी-14	80.00
21	रामनिवास सैनी पुत्र श्री महादेव प्रसाद सैनी		डी-14	80.00
22	चांदनी सिंह पत्नि श्री उग्रसेन सिंह		डी-14	80.00
23	मुन्नी देवी पत्नि श्री आमप्रकाश भाटी		डी-15 ए	196.10
24	उषा देवी पत्नि श्री मनोज कुमार राय		डी-15	130.60
25	मोहिनी देवी पत्नि श्री भंवर सिंह		डी-15 बी	100.00
26	जुगली देवी पतिन श्री रमेश पुरी		डी-16	150.00
27	मुन्नी देवी पत्नि श्री कैलाश भारती		डी-16 ए	213.88
28	गायत्री देवी शर्मा पत्नि श्री सूरजमल शर्मा		डी-18 सी	135.63
29	बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा		डी-18 बी	167.00
30	घासी देवी पत्नि श्री रामसिंह		डी-18 ए	194.00
31	अन्नू कंवर पत्नि श्री रविन्द्र सिंह		1-ए	68.00
32	कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा		1-बी	144.66
33	कैलाश चन्द कुमावत पुत्र श्री ईश्वर लाल		1-सी	144.66
34	प्रेम कंवर पत्नि श्री सवाई सिंह		2	117.00
35	यशोदा देवी पत्नि श्री परमेश्वर लाल परिहार		3	160.00
36	मोहनसिंह पुत्र श्री गंगासिंह		4	160.00

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोरव्यासभवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलालनेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष (0141-2560165) : ईपीबीएक्स-0141-2569696, एक्सटेंशन : 8240 फैक्स : 91+141-257455



जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस अथवा कैम्प दिनांक से पूर्व की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्तजोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।

उपायुक्तजोन-7

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-4377

दिनांक 15-12-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।



उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

[नियम 13(2) देखिए]

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....**D-4377**

दिनांक.....**15-12-2022**

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **टैगोर गृह निर्माण सहकारी समिति एवं निजी खातेदारी की संयुक्त योजना** रविदास कालोनी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्तवर्ती हस्तान्तरितों का कृषि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

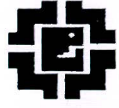
अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपटित धारा 90ए(5) एवं संपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट.)		स्वामित्व
ग्राम हरमाडा तहसील आमेर	275	1.1000	टैगोर गृह निर्माण सहकारी समिति	1. करणीसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- चारण सा. देह खातेदार 2. गुलाबदान पुत्र कालूदान हिस्सा- 1/8 जाति- चारण सा. देह खातेदार ✓ 3. गोविन्दसिंह पुत्र शंकरदान हिस्सा- 1/12 जाति- चारण सा. देह खातेदार ✓ 4. नारायणसिंह पुत्र इन्द्रबक्स हिस्सा- 1/12 जाति- चारण सा. देह खातेदार ✓ 5. भूरदान पुत्र कालूदान हिस्सा- 1/8 जाति- चारण सा. देह खातेदार ✓ 6. रघुनाथसिंह पुत्र सौवलदान हिस्सा- 1/8 जाति- चारण सा. देह खातेदार ✓ 7. रणवीरसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा- 1/24 जाति- चारण सा. देह खातेदार 8. राजेन्द्रसिंह पुत्र बद्रीदान हिस्सा- 1/8 जाति- चारण सा. देह खातेदार ✓ 9. शिवदयाल पुत्र गिरबरदान हिस्सा- 1/6 जाति- चारण सा. देह खातेदार ✓ 10. शिवसहायसिंह पुत्र इन्द्रबक्स हिस्सा- 1/12 जाति- चारण सा. देह खातेदार
	276	0.0800	निजी खातेदारी	1. ओमप्रकाश पुत्र नाथूराम हिस्सा- 1/3 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार
	278	0.2800		2. कजोडमल पुत्र नाथूराम हिस्सा- 1/3 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार 3. तोताराम पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार 4. लक्ष्मीकान्त पुत्र हनुमानसहाय हिस्सा- 1/6 जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार
	277	0.0200		1. हनुमान पुत्र नाथू हिस्सा- पूर्ण जाति- कुम्हार(प्रजापति) सा. देह खातेदार
	कुल किता 04	कुल 1.48 हेक्टे.		

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 7 दिवस में कमरा न. 308, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जमिन्प्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक **15-12-2022** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2022/डी- 4175

दिनांक:- 13-12-22

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. / निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	122786	श्री अंकित खत्री पुत्र श्री प्रदीप खत्री	श्री अजय नारायण सिन्हा पुत्र श्री उपेन्द्र नारायण सिन्हा	94	213.88	अपोलो नगर	संतोष नगर	नाम हस्तान्तरण	अपंजीकृत मुख्तारनामा आम
2.	122831	श्रीमती प्रेम टहिलयानी पत्नी श्री ईश्वर लाल	श्रीमती राजरानी पत्नी श्री श्याम लाल	68 बी	293.33	अपोलो नगर	संतोष नगर	फी होल्ड पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
3.	122922	श्री प्रवीण चौधरी पुत्र श्री जगबीर सिंह	श्रीमती वेदवती पत्नी श्री जगबीर सिंह	44	464.06	मोती भवन	स्वामी विहार	फी होल्ड पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
4.	122771	श्री अंकित खत्री पुत्र श्री प्रदीप खत्री	श्रीमती मंजू मजूमदार पत्नी श्री विजय मजूमदार	93	213.88	अपोलो नगर	संतोष नगर	नाम हस्तान्तरण	अपंजीकृत मुख्तारनामा आम

उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555

लोक सूचना

श्री हरिप्रकाश मीणा एवं श्री सूरज प्रकाश मीणा पुत्रान श्री देव प्रकाश मीणा, जाति मीणा, निवासी- ए-39, मीणा नर्सरी, सूर्य नगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के आवासीय योजना उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्ट. में)
तहसील सांगानेर जिला जयपुर	बास बीलवा	167	0.2100
		233	0.1800
		338	0.2000
		कुल किता 03	कुल रकबा 0.5900 हैक्ट.

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16/12/2022 को जारी की गयी।

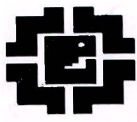


उपायुक्त (जोन-14)
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुरा, जयपुर, को लोक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. श्री हरिप्रकाश मीणा एवं श्री सूरज प्रकाश मीणा पुत्रान श्री देव प्रकाश मीणा, निवासी- ए-39, मीणा नर्सरी, सूर्य नगर, तारों की कूट, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-5727

दिनांक:- 16/12/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-राजारामपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 358/174 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही हेतु सूचना बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-राजारामपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 358/174 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-भाविका गुलाबानी पति राजकुमार गुलाबानी एवं राजकुमार गुलाबानी पुत्र श्री चन्द्र गुलाबानी, निवासी-एसडीसी गेटवे, फ्लैट न. बी-101, घीया मार्ग, कपिश होटल के सामने बनीपार्क, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022-23/102283 15.5727 दिनांक: 16/12/22

लोक सूचना

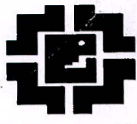
भाविका गुलाबानी पत्नि राजकुमार गुलाबानी एवं राजकुमार गुलाबानी पुत्र श्री चन्द्र गुलाबानी, निवासी-एसडीसी गेटवे, प्लेट न. बी-101, घीया मार्ग, कपिश होटल के सामने बनीपार्क, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (फार्म हाऊस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	क्षेत्रफल (हेक्टै.)	खातेदार का नाम
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	राजारामपुरा	358 / 174	0.2500	1. भाविका गुलाबानी पत्नि राजकुमार गुलाबानी 2. राजकुमार गुलाबानी पुत्र चन्द्र गुलाबानी

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16/12/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-5725

दिनांक:-16/12/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-राजारामपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 360/174 रकबा 0.2500
हेक्टेयर भूमि फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही हेतु सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व
ग्राम-राजारामपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 360/174 रकबा 0.2500 हेक्टेयर भूमि फार्म
हाऊस प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय
दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना
के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन
करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-आभा खण्डेलवाल पत्नी श्री रितेश खण्डेलवाल एवं मिथलेश डंगायत पत्नी श्री रमेश
चन्द डंगायत, निवासीयान-22, तुलसीमार्ग, बनीपार्क, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022-23/102275/डी-5725

दिनांक: 16/12/22

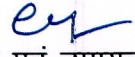
लोक सूचना

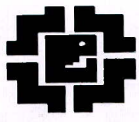
आभा खण्डेलवाल पत्नी श्री रितेश खण्डेलवाल एवं मिथलेश डंगायत पत्नी श्री रमेश चन्द डंगायत, निवासीयान-22, तुलसीमार्ग, बनीपार्क, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (फार्म हाऊस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	क्षेत्रफल (हेक्टै.)	खातेदार का नाम
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	राजारामपुरा	360 / 174	0.2500	1. आभा खण्डेलवाल पत्नी रितेश खण्डेलवाल 2. मिथलेश डंगायत पत्नी रमेश चन्द डंगायत

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16/12/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-5723

दिनांक:- 16/12/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-राजारामपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 347/174 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, 348/174 रकबा 0.2000 हेक्टेयर किता-2 कुल रकबा 0.4000 हेक्टेयर भूमि फार्म प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही हेतु सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-राजारामपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 347/174 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, 348/174 रकबा 0.2000 हेक्टेयर किता-2 कुल रकबा 0.4000 हेक्टेयर भूमि फार्म प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फोंट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-गौरव खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, निवासी-प्लॉट नम्बर-94, जमुनापुरी, मूरलीपुरा जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022-23/102274/डी-5723

दिनांक: 16/12/22

लोक सूचना

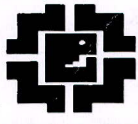
गौरव खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, निवासी-प्लॉट नम्बर-94, जमुनापुरी, मूरलीपुरा जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (फार्म हाऊस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	खातेदार का नाम
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	राजारामपुरा	347 / 174	0.2000	गौरव खण्डेलवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल
		348 / 174	0.2000	
		किता-2	0.4000	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16/12/22 को जारी की गयी।

ey
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-5721

दिनांक:- 16/12/22

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-राजारामपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 345/174 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, 346/174 रकबा 0.2400 हेक्टेयर किता-2 कुल रकबा 0.5000 हेक्टेयर भूमि फार्म प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही हेतु सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निजी खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम-राजारामपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 345/174 रकबा 0.2600 हेक्टेयर, 346/174 रकबा 0.2400 हेक्टेयर किता-2 कुल रकबा 0.5000 हेक्टेयर भूमि फार्म प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।

प्रामाणिक अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-संगीता नाटानी पत्नी पवन नाटाणी, निवासी-फ्लेट नम्बर-6, रुकमणी गार्डन, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रामाणिक अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022-23/102276/डी-5721

दिनांक: 16/12/22

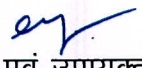
लोक सूचना

संगीता नाटानी पत्नी पवन नाटाणी, निवासी-फ्लेट नम्बर-6, रुकमणी गार्डन, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (फार्म हाऊस) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	खातेदार का नाम
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	राजारामपुरा	345 / 174	0.2600	संगीता नाटानी पत्नी पवन नाटाणी
		346 / 124	0.2400	
		किता-2	0.5000	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16/12/22 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2022/डी-1550

दिनांक:-15/12/22

आग सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	मू.नि.सं.सं.	याजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती संध्या पत्नी श्री कर्मवीर चौधरी	श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़ पुत्र श्री जगमाल सिंह	76	622	भैरव	ब्रजराज एनक्लेव	लीजहोड हेतु	सासायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र एवं अपूर्णकृत इकरारनामा के आधार पर।
2	श्री रामप्रकाश पुत्र श्री मनीराम	श्री रामप्रकाश पुत्र श्री मनीराम	87	111.11	सिरोही	ओम शिव नगर	लीजहोड हेतु	सासायटी द्वारा जारी मूल आवंटन के आधार पर।

उपस्थित एवं अधिकृत अधिकारी
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जयपुर, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञापित का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपस्थित एवं अधिकृत अधिकारी
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1
जयपुर, जयपुर।